फर्द अहकाम

कार्यालयः– न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
अपीलार्थीः– पन्नालाल बनाम जसवन्त कुमार
किस्म मुकदमाः– राजस्व पत्रावली संख्याः– 02/23 सनः– 2023

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।
	15-07-24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित। जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण विड्रो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने न्यायालय तहसीलदार मावली के कन्वर्सन आदेश के विरूद्ध अपील आप न्यायालय में पेश की है जो जैर पेन्डिंग है। उक्त मामले में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। इस कारण अपीलाण्ट अब इस अपील में अग्रीम कोई कार्यवाही नहीं चाहते है व अपील को विड्रो करते है। अतः अपील अपीलाण्ट द्वारा विड्रो करने से फैसल फरमाई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि इस अपील में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते है अतः प्रकरण विड्रो फरमाया जावे। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से अपीलाण्ट अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.01.2023 को हटायी जाती है। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद किता शुमारी दफ्तर दाखिल हो। (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर उदयपुर	